

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं-16553
में
2018 का लेटर्स पेटेंट अपील सं.-770

=====

1. रतन कुमार, पुत्र- सुरेंद्र प्रसाद, निवासी-मोहल्ला संत विनभा नगर, डाकघर- सुधारात्मक विद्यालय, जिला- हजारीबाग।
2. संजय कुमार, पुत्र-रामजी प्रसाद, निवासी- गाँव खानपुर, थाना- तेहरा, जिला-नालंदा।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. पंजीयक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, आई. डी. एच., एन. एम. सी. एच. के पूर्व में, कंकड़बाग, थाना-आलमगंज, जिला-पटना, सचिव के माध्यम से, डॉ. उमेश प्रसाद गुप्ता, पुत्र- स्वर्गीय देव नाथ गुप्ता, निवासी- मोहल्ला-आई. डी. एच. कॉलोनी, थाना-आलमगंज, जिला-पटना।
6. कंचन कुमारी, पुत्री- दयानंद पंडित, निवासी- दाउद बीघा, थाना- आगमकुआं, जिला- पटना।

7. विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, राजभवन, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं-16553

में

2018 का लेटर्स पेटेंट अपील सं.-754

=====

राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, आई.डी.एच., एन.एम.सी.एच. कंकड़बाग के पूर्व में स्थित, थाना-आलमगंज, जिला-पटना, सचिव के माध्यम से, डॉ. उमेश प्रसाद गुप्ता, पुत्र-स्वर्गीय देव नाथ गुप्ता, मोहल्ला-आई. डी. एच. कॉलोनी, थाना-आलमगंज, जिला-पटना।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. पंजीयक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

(लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 770/2018)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता

(लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 754/2018)

अपीलार्थी/ओं के लिए : डॉ. आनंद कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री ओम प्रकाश कुमार, अधिवक्ता

=====

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट---क्लॉज 10--अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अधिनियम, 1987--धारा 2(जी), 10, 11---बिहार पारा मेडिकल और पारा डेंटल एजुकेशनल (संस्था की स्थापना के लिए अनुमति) नियम 2005--नियम 6---बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976---धारा 21(2)(डी)--तकनीकी शिक्षा संस्थान को संबद्धता/मान्यता--रिट कोर्ट के निर्णय को चुनौती जिसमें यह माना गया था कि स्थायी संबद्धता के अभाव में और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और अपीलकर्ता संस्थान के प्रबंधन की मिलीभगत से अवैध तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गईं-- विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह से प्रदान की गई डिग्रियों को भी अवैध माना गया --- अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि स्वास्थ्य विभाग ने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के संबंध में स्थायी मान्यता प्रदान की है, और डिग्री पाठ्यक्रमों के संबंध में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी दिया है --- अपीलकर्ताओं का आगे तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह

समझने में विफल रहे कि एक बार विश्वविद्यालय ने संस्थान को प्रवेश लेने की अनुमति दे दी है और इसके अनुसार संस्थान ने प्रवेश ले लिया है और पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, फिर ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को छात्रों और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के पक्ष में जारी किए गए प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्देश देना पूरी तरह से अनुचित है।

निर्णय: इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थान को मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि पाठ्यक्रम नवनिर्मित संस्थान भवन में संचालित किए जाएंगे तथा कमियों को एक वर्ष की अवधि के भीतर दूर किया जाना चाहिए। न तो यह अपीलकर्ताओं का मामला है और न ही सामग्री से पता चलता है कि किसी भी समय, संबंधित संस्थान ने एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त किया है या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्थान के निरीक्षण के लिए एआईसीटीई के समक्ष कोई आवेदन भी दायर किया है और न ही विश्वविद्यालय अधिनियम या नियम, 2005 के तहत परिकल्पित निर्देशों का कोई अनुपालन किया गया है--- संस्थान को कभी भी मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से स्थायी संबद्धता नहीं मिली है, लेकिन यह अपने छात्रों के लिए पैरा मेडिकल/तकनीकी पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करता रहा है, जिसके लिए नियम, 2005 के तहत राज्य या एआईसीटीई की मान्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया है - अपीलकर्ता छात्रों को वास्तविक छात्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संबंधित संस्थान को कभी भी स्थायी संबद्धता नहीं दी गई थी - संबद्धता के लिए अपीलकर्ता संस्थान के अनुरोध को विशेष रूप से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि

विश्वविद्यालय के पास उन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुभव या विशेषज्ञता नहीं है जिनमें पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे थे; ताकि संबद्धता के प्रश्न पर निर्णय लिया जा सके - विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता के बिना और वैधानिक निकाय की मंजूरी के बिना संस्थान में छात्रों को प्रवेश देना अमान्य और अवैध है और इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री अपने आप में अवैध थी - आरोपित आदेश/निर्णय में कोई कमी नहीं है - लेटर्स पेटेंट अपील खारिज। (पैरा 4, 5, 7, 21, 23, 28, 32, 33)

(1995) 4 एससीसी 104, (2009) 4 एससीसी 590, (2018) 1 एससीसी 468 पर भरोसा किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

कैव जजमेंट

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

तारीख: 24-04-2024

पार्टियों को सुना।

2. इस न्यायालय के दिनांक 16.05.2018 के आदेश से अलग होते हुए, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 16553/2017 में पारित किया था,

दोनों पेटेंट अपील पत्रों को प्राथमिकता की गई है, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा (जिसे इसके बाद 'संस्थान' के रूप में संदर्भित किया गया है) और दूसरा उक्त संस्थान के छात्रों द्वारा।

3. अपील के तहत आदेश/निर्णय को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आधार यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे हैं कि वर्ष 1996 में, संस्थान की स्थापना पैरा-मेडिकल में व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, यानी ट्रेसर, लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा, ईसीजी, फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा, फिजियोथेरेपी में स्नातक, एक्स-रे तकनीशियन आदि प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके लिए कानून में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा किया गया था। तदनुसार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने अधिसूचना संख्या 1065(1) दिनांक 29.10.2009 के तहत संस्थान को स्थायी मान्यता प्रदान की।

4. संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील डॉ. आनंद कुमार ने पूरी दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया कि स्वास्थ्य विभाग ने डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के संबंध में स्थायी मान्यता प्रदान की है, जिसका दिनांक 29.10.2009 की अधिसूचना में विधिवत उल्लेख किया गया है और डिग्री पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ शर्तों के साथ अनापत्ति दी गयी है। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश उपरोक्त तथ्यों की सराहना करने में विफल रहे और कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों और संस्थान के प्रबंधन की मिलीभगत से परीक्षा आयोजित की गई प्रतीत होती है और इस प्रकार, ऐसी परीक्षाओं को कानून की नजर में कोई पवित्रता नहीं कहा जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह से दी जाने वाली डिग्रियों को भी अवैध माना जाता है।

5. अपीलार्थी संस्थान के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि जब संस्थान चल रहा था, तब स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान करते हुए और संस्था के पक्ष में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी जारी किया गया था, जैसा कि ज्ञापन संख्या 146 (1) दिनांक 02.02.2015 में निहित है। लेकिन, इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

6. व्यथित होने के कारण, संस्थान ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 3898/2015 को प्राथमिकता कि गई, जिसका निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया कि प्रतिवादियों को नया कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और मामले में उचित निर्णय लिया जाए, इस चेतावनी के साथ कि ऐसे निर्णय तक दिनांक 02.02.2015 का आदेश स्थगित रखा जाएगा। उपर्युक्त टिप्पणियों के अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 11.09.2015 के आदेश के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि जहां तक वर्तमान बैच का संबंध है, राज्य प्राधिकरण निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेगा कि उनके साथ क्या किया जाए। यदि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो उनकी परीक्षा आयोजित करने की विधि या तौर-तरीकों पर काम करना होगा, क्योंकि जिन छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, उन्हें वर्तमान विवाद के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र संख्या 68(1) दिनांक 15.01.2016 के तहत संस्थान की अस्थायी मान्यता बहाल कर दी है और तत्पश्चात ज्ञापन संख्या 481 दिनांक 26.04.2017 में निहित पत्र के तहत संस्थान को दी गई स्थायी मान्यता बहाल कर दी है और सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 3898/2015 में विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों के आलोक में कोई कार्रवाई न करने के संबंध में शर्त को भी वापस ले लिया है।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात की सराहना करने में विफल रहे हैं कि एक बार विश्वविद्यालय ने संस्थान को प्रवेश लेने की अनुमति दे दी है और उसके अनुसार संस्थान ने प्रवेश लिया है और पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद, संबंधित पाठ्यक्रमों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए थे, तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को छात्रों और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के पक्ष में जारी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्देश देना पूरी तरह से अनुचित है।

8. यह ध्यान देने योग्य होगा कि संस्थान द्वारा 2017 की सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 16553 को प्राथमिकता कि गई गई थी, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ रेडियोग्राफ एक्स-रे टेक्नोलॉजी के लिए संस्थान को संबद्धता का विस्तार देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, रिट याचिका के समर्थन में 2018 के आई. ए. संख्या 2410 वाले पटना उच्च न्यायालय नियमों के नियम 5, अध्याय XXI-C के तहत एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी प्रतिकूल निर्णय, उनके करियर को प्रभावित करेगा। उपरोक्त आधार पर अंतर्वर्ती आवेदन की अनुमति दी गई और छात्रों को भी सुना गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के बाद छात्रों ने 2018 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 770 को भी प्राथमिकता कि गई है। इस प्रकार, दोनों लेटर्स पेटेंट अपीलों की सुनवाई पक्षों की सहमति से एक साथ की गई थी और इस सामान्य आदेश/निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

9. छात्रों के तर्क का प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह ने किया। संस्थान के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए, आगे यह तर्क दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थान को दी गई स्थायी मान्यता और 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' को रद्द करने वाली दिनांक 02.02.2015 की अधिसूचना जारी करने से पहले, अपीलकर्ता-छात्र पहले ही अपने संबंधित पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं। नतीजतन, विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का पंजीकरण भी किया गया था और विश्वविद्यालय ने परीक्षा शुल्क भी स्वीकार कर लिया था और उसके बाद परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया था। परीक्षा के बाद, विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी छात्रों और इसी तरह के अन्य छात्रों को अंक-पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त मार्कशीट और डिग्री, उन्होंने विभिन्न संगठनों में रोजगार भी प्राप्त किया है और इन डिग्री के आधार पर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। इस प्रकार, इस स्तर पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा छात्रों द्वारा प्राप्त डिग्री को अवैध ठहराते हुए की गई कोई भी घोषणा न्यायसंगत नहीं है और कानून में अनुमेय नहीं है।

10. श्री राजीव कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने एलपीए संख्या 1145/2001 में पारित दिनांक 21.08.2008 के डिवीजन बेंच के निर्णय पर भी भरोसा किया कि यद्यपि ऐसी परीक्षाओं में बैठने के लिए, एक उम्मीदवार को एक ऐसे कॉलेज में नामांकित होना आवश्यक है, जिसे संबद्धता के माध्यम से विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त है, तथापि उम्मीदवार ने एक ऐसे कॉलेज में नामांकित किया है, जिसे विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, विश्वविद्यालय भारत के संविधान

के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य है, वह प्रमाण पत्र को रोक नहीं सकता है, क्योंकि उक्त मामले में डिवीजन बेंच ने माना कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि शैक्षिक योग्यता जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है, जो भी संरक्षित है और इस प्रकार विश्वविद्यालय को मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ-साथ माइग्रेशन प्रमाण पत्र सौंपने का निर्देश दिया।

11. दूसरी ओर, राज्य के साथ-साथ विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने अपील के तहत आदेश/निर्णय के समर्थन में अपने-अपने जवाबी हलफनामों के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष किए गए प्रस्तुतीकरण को दोहराया।

12. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सबसे पहले यह अदालत तकनीकी पाठ्यक्रमों की मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थान की मान्यता और संबद्धता को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधानों और नियमों पर प्रकाश डालेगी।

13. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (जिसे आगे एआईसीटीई अधिनियम, 1987 कहा जाएगा) को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (जिसे आगे एआईसीटीई कहा जाएगा) की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विकास की उचित योजना बनाना और समन्वय करना था।

14. एआईसीटीई को मानदंडों और मानकों की योजना बनाने, निर्माण करने और रखरखाव, मान्यता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्त पोषण, निगरानी और मूल्यांकन, प्रमाणन और पुरस्कारों की समानता बनाए रखने और देश में तकनीकी

शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 2(जी) "तकनीकी शिक्षा" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर नियोजन, प्रबंधन, फार्मसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम और ऐसे अन्य कार्यक्रम या क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार, परिषद के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है।

15. केंद्रीय अधिनियम के तहत गठित एआईसीटीई के प्रमुख नियम से संबंधित प्रश्न अब **तमिलनाडु राज्य एवं अन्य बनाम अधियामन शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान एवं अन्य(1995) 4 एससीसी 104** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा सुलझा लिया गया है। बाध्यकारी घोषणा के अनुसार राज्य सरकार और विश्वविद्यालय ऐसे मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जो केंद्रीय अधिनियम के तहत गठित परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के साथ संघर्ष या असंगत या उनसे अधिक हों। यह ध्यान देने योग्य होगा कि छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए संबद्धता/मान्यता एक पूर्व शर्त है। जब तक कोई कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त या संबद्ध नहीं होता है, तब तक उसके छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा देने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। परिषद की शक्तियों और कार्यों को एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 10 में विधिवत वर्णित किया गया है। इसके अलावा धारा 11 संस्थानों के निरीक्षण के तरीकों और तरीके से संबंधित है।

"11. निरीक्षण.--(1) तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं या उसके शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, परिषद् ऐसी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय के किसी विभाग या विभागों का निरीक्षण ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा करा सकेगी, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे।

(2) परिषद् तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय को वह तारीख बताएगी जिसको उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण किया जाना है और तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय ऐसी रीति से निरीक्षण में सहयोजित होने का हकदार होगा, जैसी विहित की जाए।

(3) परिषद् तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय को ऐसे किसी निरीक्षण के परिणामों के संबंध में अपने विचार संसूचित करेगी और उस तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय की राय जानने के पश्चात् उस संस्था या विश्वविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी।

(4) इस धारा के अधीन किसी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय को सभी पत्र-व्यवहार उसके कार्यकारी प्राधिकारी को किए जाएंगे और तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय का कार्यकारी प्राधिकारी परिषद् को कार्रवाई

की रिपोर्ट देगा, यदि कोई हो, जो प्रयोजनों के लिए की जाने वाली प्रस्तावित है, जो उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी सिफारिश को कार्यान्वित करती है।"

16. जहां तक विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित और संचालित कॉलेजों के अलावा विश्वविद्यालय के साथ कॉलेज की संबद्धता का सवाल है, यह ध्यान देने योग्य होगा कि कुलाधिपति द्वारा पत्र संख्या बीएसयू-16/86-1089-जी.एस(1), दिनांक 19.04.1986 द्वारा अनुमोदित कानून कॉलेजों की संबद्धता को विनियमित करता है। उक्त कानून का अनुच्छेद 3 किसी शैक्षणिक संस्थान को विश्वविद्यालय से संबद्धता के विशेषाधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय के पैरा 20 में इस पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया है और इस प्रकार यह न्यायालय उक्त पैराग्राफ को उद्धृत करना उचित समझता है:

"20. इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुलाधिपति द्वारा दिनांक 19.04.1986 के पत्र संख्या बीएसयू-16/86-1089-जी.एस(1) द्वारा अनुमोदित कानून विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले कॉलेजों के अलावा विश्वविद्यालय के साथ कॉलेजों की संबद्धता को नियंत्रित करता है। उक्त कानून का अनुच्छेद 3 विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक कॉलेज के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। कानून का अनुच्छेद 3(1)(ई) विशेष रूप से एक

शैक्षणिक संस्थान को यह घोषित करने के लिए अनिवार्य करता है कि 'किसी भी छात्र को संस्थान में या प्रवेश के लिए विषयों में प्रवेश नहीं दिया गया है या नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है संविधि के अनुच्छेद 3(1)(ई) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'प्रवेश हेतु प्रार्थना' विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए एक महाविद्यालय के रूप में एक शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश को संदर्भित करती है जो कि उक्त संविधि के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान को दी गई संबद्धता के अलावा और कुछ नहीं है। अनुच्छेद 3(1)(ई) की भाषासुस्पष्ट एवं स्पष्ट है और यह उन संस्थानों में छात्रों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है जो विश्वविद्यालय से संबद्धता चाहते हैं और यह भी स्पष्ट करता है कि छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता/प्रवेश प्रदान किए जाने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकता है। कानून में आने वाले 'संस्था के प्रवेश' की अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो 'शैक्षणिक संस्थान का विश्वविद्यालय से संबद्धता' की है। कानून का अनुच्छेद 4 सिंडिकेट को अधिकृत करता है कि, किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, कानून के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट मामले के संबंध में स्थानीय जांच की जाए, यदि सिंडिकेट आवेदन में दी गई सामग्री के

आधार पर या अन्यथा संतुष्ट है कि स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित कॉलेज ने विश्वविद्यालय के कानून द्वारा आवश्यक सभी शर्तों को लगभग पूरा कर लिया है या पूरा करने की संभावना है और इसे कुशलतापूर्वक चलाए जाने की संभावना है। यदि सिंडिकेट संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रवेश/संबद्धता के लिए आवेदन को उसके कारणों को दर्ज करते हुए अस्वीकार कर सकता है। अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (2) में निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (1) के तहत जांच पूरी होने पर, सिंडिकेट अपने प्रस्ताव की एक प्रति अकादमिक पहलुओं के संबंध में सुझावों के लिए अकादमिक परिषद को भेजेगा। विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद को, बदले में, संविधि की योजना के तहत, विश्वविद्यालय की सीनेट को सिफारिश करने की आवश्यकता होती है कि क्या आवेदन को स्थायी आधार पर या अनंतिम रूप से सीमित अवधि के लिए संशोधनों के साथ या बिना अनुमति दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। उप अनुच्छेद 5 सीनेट को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है कि वह आवेदन को संशोधन के साथ या बिना, स्थायी आधार पर या अनंतिम रूप से सीमित अवधि के लिए अनुमति दे। सीनेट प्रवेश के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकती है और ऐसी अस्वीकृति का

आधार दर्ज कर सकती है। सीनेट के निर्णय को संबंधित संस्थान को सूचित किया जाना है जिसमें निर्देश के पाठ्यक्रम निर्दिष्ट किए गए हैं जिनमें संस्थान को प्रवेश दिया जाता है और जिस स्तर तक प्रवेश दिया जाता है। कानून के अनुच्छेद 6 (1) के तहत, संस्थान को इसके बाद के तहत लगाई गई विभिन्न शर्तों की पूर्ति के बारे में सिंडिकेट को विधिवत रिपोर्ट देनी होगी। कानून के अनुच्छेद 6 के उप अनुच्छेद 2 के अनुसार संस्थान को पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को तब तक प्रवेश नहीं देना चाहिए जब तक कि सिंडिकेट इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि कक्षाएं शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं। (जोर दिया गया)"

17. बिहार सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में पारा मेडिकल/पारा डेंटल संस्थानों की स्थापना हेतु नियम बनाने हेतु बिहार पारा मेडिकल एवं पारा डेंटल शैक्षणिक (संस्था की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 बनाई है। पारा मेडिकल/पारा डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए नियम और मानदंड निर्धारित करने का उद्देश्य और लक्ष्य पारा मेडिकल/पारा डेंटल पाठ्यक्रमों में उच्च गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना, परीक्षा आयोजित करना, परिणामों का प्रकाशन करना और प्रमाण पत्र जारी करने में एकरूपता सुनिश्चित करना था।

18. उपर्युक्त नियमावली अधिसूचना संख्या 1029(1) दिनांक 31.12.2005 द्वारा प्रकाशित हुई थी जिसमें फिजियोथेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, ड्रेसर, ईसीजी टेक्नीशियन के पाठ्यक्रम पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों की परिभाषा में आते हैं। कोई भी व्यक्ति/संस्था/सोसाइटी जो नया पारा मेडिकल/पारा डेंटल संस्थान खोलना चाहता है, उसे नियम में निर्धारित मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। इसके नियम 6 में मान्यता से पहले विशेषज्ञ समिति के माध्यम से निरीक्षण की अनिवार्य आवश्यकता निर्धारित की गई थी। विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा के बाद राज्य सरकार को संस्थान की मान्यता के बिंदु पर निर्णय लेना था। नियम में पारा मेडिकल/पारा डेंटल संस्थानों द्वारा न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता से भी निपटा गया था।

भूमि, बुनियादी ढांचे, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता, उम्मीदवार की पात्रता मानदंड, प्रयोगशाला उपकरण, कार्यालय के लिए फिटिंग सहित बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में विस्तृत मानदंडों को नियम, 2005 में स्पष्ट रूप से समाधान किया गया।

19. हालाँकि, एआईसीटीई अधिनियम, 1987, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और नियम, 2005 में अनिवार्य प्रावधान के बावजूद, यह स्वीकार्य स्थिति है कि संस्थान को पहली बार विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017 में ही निरीक्षण के अधीन किया गया था।

20. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, अपीलकर्ताओं का मुख्य आधार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 29.10.2009 को जारी अधिसूचना है, जिसकी प्रतिलिपि

रिट याचिका के अनुलग्नक-2 के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संस्थान को दी गई स्थायी मान्यता पर विचार किया गया है।

21. अधिसूचना को ध्यान से पढ़ने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थान को मान्यता दी गई थी, लेकिन शर्त यह है कि पाठ्यक्रम नवनिर्मित संस्थान भवन में संचालित किए जाएंगे और कमियों को एक वर्ष की अवधि के भीतर दूर किया जाना चाहिए। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए संस्थान को एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। न तो यह अपीलकर्ताओं का मामला है और न ही सामग्री से पता चलता है कि किसी भी समय, संबंधित संस्थान ने एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त किया है या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्थान के निरीक्षण के लिए एआईसीटीई के समक्ष कोई आवेदन दायर किया है और न ही विश्वविद्यालय अधिनियम या नियम, 2005 के तहत परिकल्पित निर्देशों का कोई अनुपालन किया गया है।

22. इसके अलावा अपीलकर्ताओं ने मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र संख्या 129 दिनांक 30.08.2011 पर भरोसा किया, जिसमें याचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए ब्रिज कोर्स की डिग्री के साथ फिजियोथेरेपी, बीएमएलटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेडियोग्राफी में प्रवेश लेने के लिए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनंतिम अनुमति देने की सूचना दी गई थी, यह सशर्त होने के अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी माना गया था, किसी भी परिस्थिति में इसे संबद्धता का अनुदान नहीं माना जा सकता है। विश्वविद्यालय ने समय-समय पर कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के लिए राज्य सरकार

को इसकी मंजूरी के लिए सिफारिश की है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि अपीलकर्ता का मामला यह है कि ज्ञापन संख्या 146(1) दिनांक 02.02.2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संस्थान को दी गई स्थायी मान्यता और 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण संस्थान द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3898/2015 दाखिल किया गया। इसके अलावा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3898/2015 में इस न्यायालय के दिनांक 11.09.2015 के आदेश के आलोक में, संस्थान के दावे पर नए सिरे से कारण बताओ नोटिस जारी करके विचार करने की बात कही गई, जिसके परिणामस्वरूप मान्यता बहाल हो गई और बाद में कोई नया प्रवेश न लेने के संबंध में शर्त वापस ले ली गई।

23. अपीलकर्ताओं के उपरोक्त दावे के बावजूद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री यह स्पष्ट करती है कि संस्थान को कभी भी मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से स्थायी संबद्धता नहीं मिली है। वास्तव में, संस्थान की स्थायी संबद्धता का मामला सीनेट के समक्ष रखा गया था, हालाँकि सीनेट ने अपनी बैठक में यह संकल्प लिया कि पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कॉलेज की संबद्धता पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास शिक्षण मानक का मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और इस प्रकार से राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया द्वारा जारी दिनांक 05.07.2017 के पत्र के अनुसार मामले में कोई निर्णय लेने में असमर्थ है।

24. इस प्रकार, इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष की पुनः पुष्टि करने में कोई संकोच नहीं है कि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा

दिनांक 31.08.2017 को पूर्वोक्त पत्र जारी किए जाने तक, संस्थान को मगध विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्रदान नहीं की गई थी। फिर भी, विश्वविद्यालय से कोई संबद्धता न होने के बावजूद, संस्थान उक्त पाठ्यक्रमों में अपने छात्रों की परीक्षा आयोजित कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से पैरा मेडिकल/तकनीकी पाठ्यक्रम हैं, जिसके लिए नियम, 2005 या एआईसीटीई के तहत राज्य की मान्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया।

25. अपीलकर्ता का मामला कि संस्थान को स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभिन्न डिग्री/पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा दिनांक 19.09.2014 और 27.01.2016 की अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार स्थायी संबद्धता प्रदान की गई है, को विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16553/2017 में सही रूप से खारिज कर दिया है क्योंकि रिट याचिका स्वयं संस्थान की किसी वास्तविक संबद्धता और पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के बिना संबद्धता के विस्तार देने के निर्देश मांगने के लिए दायर की गई है।

26. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संस्थान को कभी भी कोई वैध संबद्धता नहीं मिली और यह तथ्य इस कारण से भी पुष्ट होता है कि पहली बार विश्वविद्यालय ने 03.06.2017 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया और शैक्षणिक सत्र 2012-13 से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम को स्थायी संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश की। हालाँकि, जब मामला सीनेट के समक्ष रखा गया, तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि तकनीकी पाठ्यक्रमों के संबंध में

शिक्षण मानक की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय के पास कोई पैरामीटर उपलब्ध नहीं था, इसलिए राज्य सरकार से आवश्यक दिशा-निर्देश मांगे गए।

27. महाविद्यालय की संबद्धता से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों का निर्विवाद रूप से अध्ययन करने के पश्चात, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 21(2)(घ) के प्रथम परंतुक का अधिदेश स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि तकनीकी शिक्षा संस्थान को संबद्धता प्रदान करना, भले ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो, ऐसी संबद्धता तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि राज्य द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है।

28. अब संस्थान के छात्रों की ओर से उठाए गए विवाद पर आते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय की राय में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सही निर्णय लिया है। छात्रों ने स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय में अध्ययन का पाठ्यक्रम नहीं अपनाया और न ही उन्होंने कानून, अध्यादेश या विनियमन में निर्धारित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें वास्तविक छात्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विचाराधीन संस्थान को कभी भी स्थायी संबद्धता नहीं दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने **अन्नामलाई विश्वविद्यालय बनाम सरकार के सचिव, सूचना एवं पर्यटन विभाग एवं अन्य (2009) 4 एससीसी 590** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सही रूप से संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी चीजों के संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकती है और यदि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कार्रवाई शून्य मानी जाएगी। इस तरह के मुद्दे को **उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड बनाम रबी साकार पात्रो और अन्य, (2018) 1 एससीसी 468**

में भी उजागर किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया और उन क्षेत्रों में प्रवेश किया जहां उनके पास कोई अनुभव नहीं था और अवैध रूप से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करना शुरू कर दिया, छात्रों को दी गई इंजीनियरिंग की सभी डिग्री, जो उस शैक्षणिक वर्ष के दौरान नामांकित हैं, जहां गलती पाई गई थी, तब तक निलंबित रहने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि वे एआईसीटीई/यूजीसी की संयुक्त देखरेख में ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते।

29. जहां तक एलपीए संख्या 1145/2001 में दिए गए निर्णय पर अपीलकर्ता के भरोसे का सवाल है, इस न्यायालय को लगता है कि इसमें निर्धारित अनुपात विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का समर्थन करता है, जिसमें कहा गया है कि जब तक किसी कॉलेज को संबद्धता के माध्यम से विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त न हो, तब तक कॉलेज किसी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऐसी किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को अग्रेषित या प्रायोजित नहीं कर सकता है। विद्वान खंडपीठ का दृढ़ मत था कि "एक कॉलेज जिसे विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, निस्संदेह विश्वविद्यालय से कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकता है, और न ही विश्वविद्यालय से किसी ऐसे उम्मीदवार की जांच करने के लिए कह सकता है, जिसे कॉलेज द्वारा शिक्षा दी गई है। इसलिए, कानून के सिद्धांतों पर, विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।"

30. एलपीए संख्या 1145/2001 में, एकमात्र अभ्यर्थी बिना किसी संबद्धता वाले कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई जारी रख रहा था, जबकि विश्वविद्यालय ने

एक सारणी रजिस्टर खोला था और तीनों क्रमिक परीक्षाओं के लिए मार्कशीट जारी की थी, जिसमें उसे सफल माना गया था। इसके बावजूद छात्र को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया, जिसके कारण न्यायालय ने इसे जारी करने का निर्देश दिया।

31. इस मामले में, संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा और डिग्री थे; जिसके लिए शिक्षण, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के मानकों का सख्त अनुपालन आवश्यक था। जिस अवधि में उक्त पाठ्यक्रम संचालित किया गया, उस दौरान संस्थान के पास संबद्धता नहीं थी। पाठ्यक्रम के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई विनियमन भी नहीं बनाया गया था और न ही संस्थान के पास उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अनुभव था, जिसमें संस्थान शिक्षा प्रदान कर रहा था। केवल ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री को अवैध माना।

32. यह स्वीकार किया जाता है कि संस्थान के पास संबद्धता नहीं थी। संबद्धता के अनुरोध को विशेष रूप से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि विश्वविद्यालय के पास उन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुभव या विशेषज्ञता नहीं थी जिनमें पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे; ताकि संबद्धता के प्रश्न पर निर्णय लिया जा सके। अभिलेखों से सामने आए उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, हम यह समझने में विफल हैं कि विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों में परीक्षा कैसे आयोजित की और प्रमाण पत्र कैसे प्रदान किए। हम अपनी पीड़ा व्यक्त करने से नहीं बच सकते, खासकर जब से प्रमाण पत्र पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिए गए थे, प्रमाणित छात्र अक्सर अपने साथी मनुष्यों के जीवन और अंगों से संबंधित होते थे।

33. हम यह भी देख सकते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर आधारित है जिसमें प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संस्थान को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 21(2)(डी) के तहत कभी भी संबद्धता प्रदान नहीं की गई थी। संस्थान अधिनियम के अनुसार मानदंडों और मानदंडों को भी पूरा नहीं करता है। विश्वविद्यालय का यह रुख था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 21(2)(डी) के आदेश के अनुसार राज्य सरकार की मंजूरी के बिना छात्रों का प्रवेश लेना उचित नहीं था। विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता और वैधानिक निकाय की मंजूरी के बिना संस्थान में छात्रों का प्रवेश अमान्य और अवैध है। इसके अलावा, संस्थान ने छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की विधि के बारे में विश्वविद्यालय को कभी सूचित नहीं किया। इस तरह के तर्क पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री अपने आप में अवैध थी; जिससे हम पूरी तरह सहमत हैं।

34. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को ध्यान से पढ़ने के बाद, यह न्यायालय भी यह पाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी वैध संबद्धता और राज्य द्वारा मान्यता के बिना पाठ्यक्रम संचालित करने और शिक्षा प्रदान करने में अवैधता के स्पष्ट तथ्य पाए जाने के बाद, बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किए जाने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए थे, जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, जिसमें भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार जारी किए गए निर्देशों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाते हैं।

35. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और कानून में मौजूद स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को आदेश/निर्णय में कोई कमी नहीं दिखती है और इस प्रकार दोनों लेटर्स पेटेंट अपीलें खारिज की जाती हैं। पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायधीश: में सहमत हूँ।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायधीश)

उदय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।